NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No. 278 / NCRES / 2019 दिनांक 28.10.2019

श्रीमान प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषयः— झॉसी के मंडल चिकित्सालय में अल्ट्रासाउन्ड की सुविधा न होने से कर्मचारियों में असंतोष।

महोदय,

अवगत कराना है कि झांसी के मण्डल चिकित्सालय में अल्ट्रासाउन्ड की मशीन सालों से खराब है जिसके कारण कर्मचारियों को रेलवे डाक्टर की सलाह पर अल्ट्रासाउन्ड बाहर से कराना पड़ता है। झांसी के प्राइवेट अल्ट्रासाउन्ड सेन्टर में कोई निश्चित रेट नही है, प्रत्येक सेन्टर पर अलग—अलग रेट है।

उपरोक्त परिस्थिति में कर्मचारियों को CGHS रेट से बहुत ज्यादा भुगतान कर अल्ट्रासाउन्ड कराना पड़ता है और उसका Reimbursement कर्मचारियों को CGHS रेट पर किया जाता है, जो कि भुगतान किये गये धन का आधा भी नही होता, इसी कारण कर्मचारियों में बहुत असंतोष है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि झांसी के मण्डल चिकित्सालय में नई मशीन लगाई जाय और जब तक अल्ट्रासाउन्ड की सुविधा चिकित्सालय में उपलब्ध न हो पाये तब तक के लिये झांसी के 3—4 अल्ट्रासाउन्ड सेन्टर से अनुबन्ध कर कर्मचारियों को बिना कोई भुगतान किये अल्ट्रासाउन्ड की सुविधा प्रदान की जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री